दिनांक–14 फरवरी, 2012 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिये गये निर्णय।

ऊर्जा विभाग

1. बिहार रिन्युएबुल इनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी (ब्रेडा) को अपारंपरिक ऊर्जा श्रोत सहायक अनुदान के अंतर्गत थरूहट क्षेत्र में थारू महिला स्वयं सहायता समूह (मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अन्तर्गत गठित थारू समूह) के सदस्यों को सोलर लैन्टर्न वितरण की योजना की स्वीकृति एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में 60.00 लाख रूपये की स्वीकृति के संबंध में। — स्वीकृत।

उद्योग विभाग

2. मे० अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि०, मुम्बई द्वारा फतुहां, जिला–पटना में 02 मिलियन मे० टन प्रतिवर्ष क्षमता का सीमेंट ग्राईंडिंग यूनिट लगभग ` 326.10 (तीन सौ छब्बीस दशमलव एक) करोड़ की लागत से स्थापना की स्वीकृति का प्रस्ताव। — स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

3. बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली, 2012 की स्वीकृति के संबंध में। — स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

4. राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) के आलोक में गठित बिहार राज्य गंगा नदी प्राधिकरण के अंतर्गत बिहार राज्य गंगा नदी संरक्षण प्रबंध सोसाईटी (BGCMS) को निबंधित करने के प्रस्ताव उसकी Memorandum of Associations तथा इसकी नियमावली की स्वीकृति के संबंध में। — स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

5. बिहार भूदान यज्ञ कमिटि को वर्ष 2005–06 से 2009–10 तक के कुल बकाया 8391073 रू० के विरूद्ध 3822073 रू० (अड़तीस लाख बाईस हजार तिहत्तर रू०) का अतिरिक्त सहाय्य अनुदान की स्वीकृति के संबंध में। — स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

6. बिहार वित्त सेवा सम्वर्ग में वाणिज्य–कर सहायक आयुक्त (वेतनमान 15,600 – 39,100 + ग्रेड –पे 6,600 रू०) कोटि से वाणिज्य–कर उपायुक्त (वेतनमान 15,600 – 39,100 + ग्रेड–पे 7,600 रू०) कोटि में नियमित प्रोन्नति देने के संबंध में। — स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

7. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत मुख्य अभियंता (असैनिक) से अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव के पद पर स्थानापन्न प्रोन्नति देने की स्वीकृति। — स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

8. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय में दो वर्षीय पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण (डिप्लोमा इन एडुकेशन) कोर्स में प्रशिक्षुओं के नामांकन तथा महाविद्यालय के संरचना के विकास हेतु संचालित मार्गदर्शिका, संकल्प संख्या–12/प्रशिक्षण–89/2007–204, पटना दिनांक–19.06.2008 की कंडिका 14, 17 एवं 18 का संशोधन। — स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

9. डा० अरूण कुमार अबोध, चिकित्सा पदाधिकारी, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, सोनभद्र, करपी, अरवल के सेवा से बर्खास्तगी के मामले में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति। — स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

10. डा० रमेश कुमार सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा० स्वा० केन्द्र, अरवल के सेवा से बर्खास्तगी के मामले में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति। — स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग
(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

11. स्टेट सोसाइटी फोर रिहैविलिटेशन ऑफ अल्ट्रा पूअर के गठन तथा सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 (नवम्बर, 2011 से मार्च, 2012 के बीच) में रू० 99,37,000/–(निनान्वे लाख सैंतीस हजार रूपये) के व्यय की स्वीकृति। — स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

12. राज्य के विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की हड़ताल अवधि क्रमशः दिनांक–08.07.2010 से 14.07.2010 तथा दिनांक–01.07.10 से 19.08.2010 तक की अवधि की अनुपस्थिति को असाधारण ''अवैतनिक'' अवकाश स्वीकृत कर विनियमित कराने के संबंध में। — स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

13\. राज्य के विश्वविद्यालयों में स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर अनुमान्य पदों पर विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत प्रयोगशाला कर्मियों को जिन्हें राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा पदनामित प्रयोग– प्रदर्शक के रूप में अधिसूचित किया गया है, के लिए वित्तीय वर्ष 2011–12 के माह मार्च, 2011 से फरवरी, 2012 तक के वेतनादि के भुगतान हेतु कुल ` 10,74,27,432/–(दस करोड़ चौहत्तर लाख सताईस हजार चार सौ बत्तीस रू०) मात्र की स्वीकृति के संबंध में। — स्वीकृत।

वित्त विभाग

14\. लोक वित्त एवं आर्थिक नीति केन्द्र (CEPPF) के सुदृढ़ीकरण के संबंध में। — स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

15\. बक्सर जिलान्तर्गत नावानगर अंचल के मौजा– खरपुरा, थाना नं०–404, खाता नं०–08, खेसरा नं०–55, रकबा–0.54 एकड़ अनाबाद सर्वसाधारण किस्म आहर भूमि प्राथमिक विद्यालय, खरपुरा के भवन निर्माण हेतु शिक्षा विभाग को निःशुल्क अंतर्विभागीय स्थायी हस्तांतरण के संबंध में। — स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

16\. सारण जिला के सदर छपरा अंचल अन्तर्गत मौजा–विष्णुपुरा, थाना नं०–314, खाता नं०–1018, खेसरा नं०–759, 764, 765, 766 रकवा–2.50 एकड़ (दो एकड़ पचास डिसमिल) गैर मजरूआ मालिक परती कदीम एवं पोखर भिण्डा सैरात से मुक्त भूमि को पर्यवेक्षण गृह के निर्माण हेतु समाज कल्याण विभाग, बिहार को अन्तर्विभागीय निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। — स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

17\. पटना जिला के बिहटा अंचल अन्तर्गत मौजा–अमहारा, थाना सं०–44, खाता सं०–1145, खेसरा सं०–454 कुल रकबा–0.07 एकड़ गैर मजरूआ मालिक भूमि मेगा औद्योगिक पार्क के निर्माण हेतु उद्योग विभाग को इस शर्त्त पर निःशुल्क एवं स्थायी हस्तान्तरण करने के संबंध में कि भविष्य में यदि जमीन किसी प्राधिकार/ अभिकरण को हस्तांतरित की जाएगी तो नियमानुसार राशि सरकारी खजाने में जमा की जायेगी। — स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

18. पटना जिला के बिहटा अंचल अन्तर्गत मौजा–दयालपुर दौलतपुर, थाना सं०–43, खाता सं०–353, खेसरा सं०–4058 रकबा–0.08 एकड़ गैर मजरूआ मालिक भूमि मेगा औद्योगिक पार्क के निर्माण हेतु उद्योग विभाग को इस शर्त्त पर निःशुल्क एवं स्थायी हस्तान्तरण करने के संबंध में कि भविष्य में यदि जमीन किसी प्राधिकार / अभिकरण को हस्तांतरित की जाएगी तो नियमानुसार राशि सरकारी खजाने में जमा की जायेगी। — स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

19. वर्ष 2011–12 में राज्य योजना अन्तर्गत निदेशन, प्रशासन एवं स्थापना मद हेतु ` 246.00 लाख (दो करोड़ छिआलीस लाख रूपये मात्र) की राशि बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेने की स्वीकृति। — स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

(पशुपालन)

20. पशु चिकित्सालयों के भवन निर्माण हेतु दान स्वरूप जमीन देने वाले दाता के नाम पर प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय का नाम रखने के संबंध में स्वीकृति। — स्वीकृत।